न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः–**दिव्या RAS**

प्रकरण संख्याः–367/2020

वादपत्र अन्तर्गत धाराः– 53, 188 आर.टी.ए.

सोमा देवी पुत्री श्री लेखराम जाति सांसी निवासी गऊशाला रोड, वार्ड नम्बर 19, पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर (राज0)

–: वादिया

बनाम्

1. गंगो उर्फ गंगो देवी पत्नी स्व0 श्री लेखराम जाति सांसी निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0
2. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
3. शाखा प्रबन्धक, कैनरा बैकं, हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री खुशप्रीत सिंह – अधिवक्ता वादी
2. श्री सोहनलाल सहारण – अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1
3. राजपैरोकार प्रतिवादी सं. 2

–:निर्णयः–

दिनांक ....

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके यह कि चक 3 जेडीडब्लयू, तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 16/105, जमाबन्दी सम्वत 2074–77, खाता गंगो आदि मे पत्थर नम्बर 93/230 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 1 ता 4, 5/2/.169 व पत्थर नम्बर 94/234 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 11 ता 14 कुल 2.193 हैक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि वाद पत्र की मद संख्या 3 में स्व0 लेखराम के नाम 2.193 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी तथा स्व0 लेखराम की मृत्यु उपरान्त लेखराम के वारिसान रोशनी, लक्ष्मी, मीरा, रोशनलाल, शंकरलाल, पूर्णराम, संतुराम, मनीराम द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपना हक वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ था तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादिया के आधिपत्य व धारण की आराजी को हडप करने की नियत से रोशनी, लक्ष्मी, मीरा, रोशनलाल, शंकरलाल, पूर्णराम, संतुराम, मनीराम से एक दस्तावेज त्याग पत्र अपने पक्ष में दिनांक 19.08.2016 को करवा लिया तथा हक त्याग के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन भी करवा लिया जबकि वादग्रस्त आराजी वादिया व प्रतिवादी सख्ंया 1 के आधिपत्य व धारण में संयुक्त रूप से चली आ रही है। प्रतिवादी सख्ंया 1 अत्यन्त चलाक प्रवृति की महिला है तथा हमेशा वादिया को नुकसान पहुचाने के लिए प्रयासरत है। प्रतिवादी सख्ंया 1 द्वारा वादिया के आधिपत्य व धारण की आराजी जिसमें वादिया व प्रतिवादी सख्ंया 1 बहिस्सा बराबर 1/2 – 1/2 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है, उक्त आराजी वाद पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज है को प्रतिवादी सख्ंया 1 द्वारा विधि विरूद्व रूप से पंजीकृत दस्तबरदारी दिनाक 19.08.2016 के आधार पर अपने नाम दर्ज करवा ली तथा राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का फायदा उठाते हुए वादग्रस्त आराजी को अन्यत्र रहन, बैय व मुन्तकिल करने के लिए प्रयासरत है। रोशनी, लक्ष्मी, मीरा, रोशनलाल, शंकरलाल, पूर्णराम, संतुराम, मनीराम द्वारा प्रतिवादी सख्ंया 1 के पक्ष में दस्तबरदारी पंजीकृत करवाये जाने से प्रतिवादी सख्ंया 1 को कोई विधिक अधिकार व हित प्राप्त नही होते है। दस्तबरदारी विधि अनुसार एक सहहिस्सेदार अथवा एक सहअंशधारी द्वारा किसी विशिष्ट परिवारजन को सम्पति अन्तरित करते हुए निष्पादित व पंजीकृत नही करवाई जा सकती है। दस्तबरदारी विलेख का निष्पादक संयुक्त सम्पतियों में से अपने अंश का परित्याग मात्र कर सकता है और परित्याग के पश्चात दस्तबरदारी विलेख के निष्पादक के हिस्से की सीमा तक शेष सभी अंशधारीयों के हित में संभाग की दर से विस्तृत हो जाते है। उपरोक्त वर्णित विधिक स्थिति मे दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 19.08.2016 में परित्याग की गई भूमि वादिया व प्रतिवादी सख्ंया 1, 1/2 – 1/2 हिस्सा प्रत्येक में संभाग की दर से निहित हो चुकी है और वादिया इसी अनुसार इस आशय की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदार है कि दस्तबरदारी दिनांक 19.08.2016 में रोशनी, लक्ष्मी, मीरा, रोशनलाल, शंकरलाल, पूर्णराम, संतुराम, मनीराम द्वारा अपने हक हिस्से का परित्याग करने उपरान्त वादग्रस्त आराजी 2.193 हैक्टेयर में वादिया व प्रतिवादी सख्ंया 1 का बहिस्सा बराबर 1/2 – 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा इसी अनुसार बहिस्सा बराबर घोषणा प्राप्त कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:12:05 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रतिवादी सख्या 1 अत्यन्त चलाक प्रवृति की महिला है तथा हमेशा वादिया को नुकसान पहुचाने के लिए प्रयासरत है। प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा वादिया के आधिपत्य व धारण की आराजी जिसमें वादिया व प्रतिवादी सख्या 1 बहिस्सा बराबर 1/2 – 1/2 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है, उक्त आराजी वाद पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज है को प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा विधि विरूद्व रूप से पंजीकृत दस्तबरदारी दिनाक 19.08.2016 के आधार पर अपने नाम दर्ज करवा ली तथा राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का फायदा उठाते हुए वादिया के कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी करने तथा वादग्रस्त आराजी को अन्यत्र रहन, बैय व मुन्तकिल करने के लिए प्रयासरत है, यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपने इस अवैध मकसद में कामयाब हो जाती है तो वादिया को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार के हर्जा खर्चा से नही की जा सकेगी, इन तात्कालिक एंव आवश्यक परिस्थितियों के दृष्टिगत वादिया, प्रतिवादी सख्या 1 के विरूद्व इस आशय की शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने की अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1, वादग्रस्त आराजी चक 3 जेडीडब्लयू, तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 16/105, जमाबन्दी सम्वत 2074–77, खाता गंगो आदि मे दर्ज कुल 2.193 हैक्टेयर को रहन, बैय, अन्तरण करने से निषिद्व रहे तथा वादग्रस्त आराजी बाबत मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

यह कि वाद पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज आराजी वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 के आधिपत्य व धारण में 1/2 – 1/2 प्रत्येक चली आ रही है, इसी अनुसार वाद पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज आराजी में वादिया व प्रतिवादी सख्या 1 बहिस्सा बराबर 1/2 – 1/2 प्रत्येक घोषणा प्राप्त करने की अधिकारी है तथा मुताबिक घोषणा वादिया अपने हिस्सा की आराजी का अच्छी में से अच्छी, मन्दी में से मन्दी भूमि का राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर अपना खाता अलग कायम करवाकर विभाजन में प्राप्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है।

यह कि वादिया द्वारा प्रतिवादीगण से निवेदन कर वाद पत्र की मद संख्या 3 मे दर्ज आराजी को वादिया के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने बाबत निवेदन किया तो उन्होने ऐसा मानने से इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है।

≈ वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता सोहनलाल सहारण ने वकालतनामा पेश किया। वाद विचाराधीन के दौरान दिनांक 14.3.2022 को उभय पक्ष द्वारा राजीनामा पेश किया गया कि 88 आरटीए की हद तक वाद विड्रा करते है तथा संयुक्त खाता की भूमि 2.193 है. आराजी का राजीनामा के आधार पर बंटवारानामा पेश किया जो इस प्रकार है कि (क) हिस्सा वादिया :– चक 3 जेडीडब्लयू, तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 16/105, जमाबन्दी सम्वत 2074–77, खाता गंगो आदि मे पत्थर नम्बर 93/230 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 4/.066 हैक्टेयर (पूर्वी ओर नहरी), 5/2/.153 हैक्टेयर नहरी कुल .219 हैक्टेयर नहरी।

(ख) हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 :–चक 3 जेडीडब्लयू, तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 16/105, जमाबन्दी सम्वत 2074–77, खाता गंगो आदि मे पत्थर नम्बर 93/230 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 1 ता 3/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 4/.187 (पश्चिमी ओर), 5/2/.016 गै.मु. रास्ता व पत्थर नम्बर 94/234 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 11 ता 14 कुल 1.974 है.। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी सं. 2 की तरफ से जवाब स्टेट पेश किया गया। पत्रावली के अवलोकन से कोई विरोधाभास नही है इसलिए तनकीयात विरचित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

≈ पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील उभयपक्ष ने वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। इसलिए वादी वाद, स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

अतः वादीगण वाद मुताबिक राजीनामा के अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से किया जाता है कि::–

(क) हिस्सा वादिया सोमादेवी :– चक 3 जेडीडब्लयू, तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 16/105, जमाबन्दी सम्वत 2074–77, खाता गंगो आदि मे पत्थर नम्बर 93/230 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 4/.066 हैक्टेयर (पूर्वी ओर नहरी), 5/2/.153 हैक्टेयर नहरी कुल .219 हैक्टेयर नहरी। (ख) हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 गंगो देवी :–चक 3 जेडीडब्लयू, तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 16/105, जमाबन्दी सम्वत 2074–77, खाता गंगो आदि मे पत्थर नम्बर 93/230 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 1 ता 3/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 4/.187 (पश्चिमी ओर), 5/2/.016 गै.मु. रास्ता व पत्थर नम्बर 94/234 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 11 ता 14 कुल 1.974 है. उक्तानुसार एवं बिंदूवार दफा क एवं ख अनुसार वादिया एवं प्रतिवादी सं. 1 का खाता अलग अलग कर रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि

Signature Not Verified
Digitally Signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:12:05 IST
Reason: SelfAttested

यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदी कर लगाम कायम किया जावें। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

नोटः— आराजी बैंक से रहन मुक्त होने के उपरांत निर्णय की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:12:05 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः–**(दिव्या) RAS**

प्रकरण संख्याः–367/2020

सोमा देवी पुत्री श्री लेखराम जाति सांसी निवासी गऊशाला रोड, वार्ड नम्बर 19, पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर (राज0)

–: वादिया

बनाम्

1. गंगो उर्फ गंगो देवी पत्नी स्व0 श्री लेखराम जाति सांसी निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0
2. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
3. शाखा प्रबन्धक, कैनरा बैकं, हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धाराः– 53, 188 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ दिव्या आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री खुशप्रीत सिंह संधू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री सोहनलाल सहारण वकील प्रतिवादी सं. 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार डिक्री दी जाती है किः– चक 3 जेडीडब्लयू, तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 16/105, जमाबन्दी सम्वत 2074–77, खाता गंगो आदि मे पत्थर नम्बर 93/230 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 4/.066 हैक्टेयर (पूर्वी ओर नहरी), 5/2/.153 हैक्टेयर नहरी कुल .219 हैक्टेयर नहरी। (ख) हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 गंगो देवी :–चक 3 जेडीडब्लयू, तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 16/105, जमाबन्दी सम्वत 2074–77, खाता गंगो आदि मे पत्थर नम्बर 93/230 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 1 ता 3/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 4/.187 (पश्चिमी ओर), 5/2/.016 गै.मु. रास्ता व पत्थर नम्बर 94/234 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 11 ता 14 कुल 1.974 है. उक्तानुसार एवं बिंदूवार दफा क एवं ख अनुसार वादिया एवं प्रतिवादी सं. 1 का खाता अलग अगल कर रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार अमलदरामदी कर लगाम कायम किया जावें। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। राजीनामा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक ..... को जारी किया गया।

नोटः– डिक्रीत आराजी रहन मुक्त होने के बाद डिक्री का निष्पादन किया जावें।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:12:05 IST
Reason: SelfAttested